कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रत्नागिरी प्रतिभा

विभागीय ई-पत्रिका - 2025 **अंक-09**

"भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है"

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रत्नागिरी प्रतिभा

विभागीय ई-पत्रिका - 2025 अंक-09

इस अंक में.....

संरक्षक
श्री शैलेश दा. बापट
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक,रत्नागिरी

परामर्श
श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला
मुख्य राजभाषा अधिकारी

सदानंद चितळे
राजभाषा अधिकारी

संपादक
राजेश जोशी
क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी
रत्नागिरी

सहसंपादक
संतोष पाटोळे
कनिष्ठ अनुवादक

* क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की कलम से...
* संपादकीय...

लेख/काव्य

* यादें श्रम शक्ति की
* प्रतियोगिता परीक्षाएं - समय की जरुरत
* राष्ट्रीय एकता और भाषा
* सत्यनिष्ठता की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि
* राजभाषा नियम - 1976 का नियम - 10
* विद्युत सुरक्षा
* विश्व हिंदी दिवस: हिंदी भाषा का गौरव
* भाषा समाज का दर्पण
* ग्लोबल वार्मिंग
* चिनाब पूल का निर्माण एवं विशेषताएं
* भारत अक्षय ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है
* राजभाषा पखवाड़ा
* राजभाषा नियम - 1976 का नियम -8(4)

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सबसे सरल स्रोत है"

क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की कलम से.....

किसी भी देश की मौलिक सोच सृजनात्मक अभिव्यक्ति केवल अपनी भाषा में ही संभव है।अपनी भाषा के प्रति प्रेम हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाता है।अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति सरल, सहज और स्वाभाविक होती है और ऐसा अनुवादित भाषा के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अनुवाद के बजाय मूल रुप से हिंदी में कार्य करना आवश्यक है।संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर हिंदी ने अनेकता में एकता की भावना को आम जनता में निरंतर बनाए रखा है।

साथियो, कोंकण रेलवे के रत्नागिरी क्षेत्र की ई-हिंदी पत्रिका "रत्नागिरी प्रतिभा" अंक-08 में जिन कर्मियों ने अपने लेख के माध्यम से विभिन्न विषयों की विशेषताओं को पाठकों के समक्ष प्रदर्शित किया है, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मैं संपादक मंडल को बधाई देता हूं।

शैलेश दा. बापट
क्षेत्रीय रेल प्रबंधक,रत्नागिरी

संपादकीय.....

यह हर्ष का विषय है कि रत्नागिरी क्षेत्र की स्वतंत्र हिंदी ई-पत्रिका "रत्नागिरी प्रतिभा" के 9 वे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी भारत की राजभाषा के साथ-साथ हर भारतीय के हृदय की भाषा भी है,अतः हम सभी का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन महत्वपूर्ण कार्य है।इनमे से सभी सदस्य कार्यालय कर्मियों को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रकट करने का एक सशक्त मंच प्राप्त होता है।कोकण रेलवे का रत्नागिरी क्षेत्र इस दायित्व का निर्वाहन कर रहा है।

राजभाषा विभाग, रत्नागिरी द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "रत्नागिरी प्रतिभा" आपकी अपनी पत्रिका है।प्रकाशित लेख रचनाओं अन्य सामग्री आदि के बारे में अपनी टिप्पणिया अवगत कराएं, जिससे कि हम आपकी रूचि के अनुसार पत्रिका प्रकाशित करते रहे।आशा है कि आपकी पत्रिका की विकास यात्रा में आप अपना पूरा योगदान देंगे।

अंत में यह भी अनुरोध रहेगा कि को "रत्नागिरी प्रतिभा" का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक पाठक जुड़ सके।

- राजेश पी जोशी
क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी एवं
क्षेत्रीय विद्युत अभियंता /रत्नागिरी

कोंकण रेलवे एक अद्‌वितीय, अद्‌भुत परियोजना है, जिसे अभियांत्रिकी चमत्कार माना जाता है। इसके निर्माण के दौरान और पश्चात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे जो साथी शहीद हो गए उनके लिए श्रद्‌धांजलि पर कविता।

यादें श्रम शक्ति की।

कोंकण रेल का हुआ अति शीघ्र निर्माण,
श्रम और शक्ति का है यह परिणाम।
कोंकण रेल का हुआ विश्व में बुलंद नाम,
यह आपके कार्यकुशलता का अंजाम।
कर्तव्य का पालन करना था आपका काम,
कार्य पूर्ति से नहीं चाहते थे कोई इनाम।
ईश्वर ने किया आपके कार्यपटुता का सम्मान,
कार्य पूर्ति के पहले ही दिया आपको स्वर्ग का इनाम।
व्यर्थ न जाएगी आपकी कुर्बानी कभी,
आपके कार्य का उत्तरदायित्व, लेते हैं आज से हम सभी।
कार्य पूर्ति में हुए जाने अनजाने कुर्बान,
करते हैं हम, सब उन्हें सलाम।
उनका कार्य है हमें आदर्श प्रमाण,
हुआ इसीलिए श्रम शक्ति स्मारक का निर्माण।
स्मारक की धूल लगाते हैं माथे को,
यही है हमारी मानवंदना आपको।
जय हिन्द, जय हिन्द।

सदानंद चितले,
राजभाषा अधिकारी,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रतियोगिता परीक्षाएं - समय की जरुरत

आज के स्पर्धात्मक युग में, प्रतियोगिता परीक्षाएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। चाहे कोई सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी विशिष्ट क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हों, प्रतियोगिता परीक्षाएं सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि कोई सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होंगी।

आज हर कोई युवा कोई न कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहा है और सभी सफलता की दौड़ में लगे हुए है। कुछ लोग इस दौड़ में सफलता प्राप्त कर लेते है तो कोई इस दौड़ में पीछे छूट जाता है और असफल हो जाते है।सफलता हासिल करने का पहला मन्त्र है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता।अगर कुछ बातों को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी करते है तो सफलता अवश्य मिलती है। कई घंटे पढाई करने से अच्छा है की कुछ घंटे ध्यान लगाकर पढाई करे। कुछ देर ही सही पर मन को एकाग्र रखकर पढाई करनी है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करे, यह नुस्का तनाव से बचाएगा. इससे पढाई में मन लगेगा और बेहतर प्रदर्शन देने में कामयाब होंगे।आज हर विद्यार्थी के लिए जरुरी है मानसिक दृढ़ता।इसके अभाव में कई विद्यार्थी जल्दी हताश और निराश हो जाते है।इसलिए मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरुरी है। यह तभी संभव हो सकेगा, जब सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। हर कोई दुनिया के सबसे तेज और प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, किन्तु लगातार मेहनत करे तो सफलता किसी भी कीमत पर हासिल होगी।इस दुनिया में हमारी जीत निरंतर प्रयत्नशीलता पर ही टिकी है। सफलता एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। अगर अपनी कमियों को पहचानते हुए उसे निरंतर सुधारते चलेंगे तो किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते है।

क्यों हैं प्रतियोगिता परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण?

* योग्यता का मूल्यांकन: ये परीक्षाएं उम्मीदवारों की ज्ञान, कौशल और योग्यता का एक वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करती हैं।
* बराबर अवसर: सभी उम्मीदवारों को एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम किया जा सकता है।
* गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन: इन परीक्षाओं के माध्यम से संगठन और संस्थान उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन प्राप्त कर सकते हैं।

विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएँ -

* सरकारी नौकरियां: MPSC, UPSC, SSC, राज्य लोक सेवा आयोग आदि
* शैक्षणिक संस्थान: IIT JEE, NEET, CAT, GATE आदि
* बैंकिंग: IBPS, SBI, RBI आदि

प्रतियोगिता परीक्षाओं की चुनौतियाँ-

* कठिन पाठ्यक्रम: इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता है और इसमें कई विषय शामिल होते हैं।
* अधिक प्रतिस्पर्धा: लाखों उम्मीदवार इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत अधिक उंचा होता है।
* समय का बंघन: उम्मीदवारों के पास आमतौर पर सीमित समय होता है और उन्हें सभी विषयों पर समान ध्यान देना होता है।
* तनाव: इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण उम्मीदवारों को काफी तनाव का सामना करना पड़ता है।

प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक कौशल्य-

* समय का प्रबंधन: एक उचित समय सारणी बनाएं और प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय दें।
* अध्ययन सामग्री: अच्छी गुणवत्ता वाली किताबें, नोट्स और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें।
* नियमित अभ्यास: पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें और मॉक टेस्ट दें।
* समूह अध्ययन: अपने दोस्तों के साथ मिलकर अध्ययन करें और उस अध्ययन में एक-दूसरे की सहायता करें।
* स्वास्थ्य का ध्यान रखें: नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन तथा स्वस्थ नींद लें।
* तनाव प्रबंधन: तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान या अन्य तकनीकों का उपयोग करें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI)टेक्नोलॉजी और आज की प्रतियोगिता परीक्षाएँ-

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI) तेजी से विकसित हो रही है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बड़ा रहा है। शिक्षा और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अब विशिष्ट परीक्षाओं के लिए बेहतर अध्ययन सामग्री तैयार करने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकती है, जिससे परीक्षार्थी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी की कमजोरियों और मजबूतियों का विश्लेषण करके, व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से परीक्षार्थी अधिक लक्षित और प्रभावी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री और अभ्यास प्रश्नों के कारण परीक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन सामग्री खोजने में कम समय लगता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगी परीक्षाओं को बदल रहा है। यह परीक्षार्थियों को बेहतर तैयारी करने में मदद कर रहा है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी पैदा कर रहा है।परीक्षार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाते हुए अपनी स्वयं की सोचने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए।

टेक्नोलॉजी (तत्रंज्ञान) और प्रतियोगिता परीक्षाएँ -

आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। यह हमारे काम करने के तरीके, संवाद करने के तरीके और यहां तक कि सोचने के तरीके को भी बदल रही है।स्मार्टफोन और इंटरनेट ने दुनिया को अलग तरीके से बदल दिया है। हम अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं।आज हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर है। हम किसी भी विषय पर कुछ भी जान सकते हैं।कई क्षेत्रों में मनुष्यों की जगह रोबोट ले रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ा है और लागत कम हुई है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कई नए क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं। टेक्नोलॉजी ने ज्ञान के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण है। टेक्नोलॉजी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को आसान और अधिक सुलभ बना दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बस एक बटन दबाकर सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है।

युवा बेरोजगारी की समस्या-समाधान-

आज का युग तकनीकी क्रांति का है, जहाँ नई-नई तकनीकें हमारे जीवन को बदल रही हैं। यह क्रांति कई क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खोल रही है, लेकिन साथ ही यह बेरोजगारी की समस्या को भी गहरा बना रही है। मशीनें और रोबोट अब कई ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले इंसान करते थे। इससे उत्पादन बढ़ता है लेकिन कई नौकरियां खत्म भी होती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता: AI अब कई क्षेत्रों में मानव बुद्धि की जगह ले रही है। इससे ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। नई तकनीकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा।लोगों को नए कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। बेरोजगार लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का जाल मजबूत करना होगा।नई तकनीकों के आधार पर नए उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।तकनीक और बेरोजगारी एक जटिल संबंध है। हमें तकनीकी प्रगति का स्वागत करते हुए साथ ही बेरोजगारी से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा।आज के युवाओं को न केवल ज्ञान बल्कि ऐसे कौशल भी सीखने होगें जो उन्हें रोजगार योग्य बना सकें।शिक्षा प्रणाली को बदलकर उसे रोजगार उन्मुख बनाना होगा। नए कौशल विकास: लोगों को नए कौशल सिखने होंगे। उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाकर पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। नई तकनीकों के आधार पर नए उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।खुद को बदलते हुए समय के अनुसार ढलना होगा।तब हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

अगर उम्मिदवार अपनी कमजोरियों को जानकर समय रहते उसे दूर कर लेते है तो आपके सफलता के रास्ते काफी बढ़ जाते है। यह ध्यान रखना है की जिस व्यक्ति में काबिलियत होती है और जिस व्यक्ति को खुद की क्षमताओ पर अटूट विश्वास होता है उस व्यक्ति को किसी भी परीक्षा या जीवन में सफलता मिलनी निश्चित होती है। लक्ष्य बनाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। बार-बार तैयारी की दिशा को नहीं बदलें। समय एक ऐसी अवधारणा है जो ब्रह्मांड और हमारे आस-पास की दुनिया को समझने के लिए केंद्रीय है। जिसके भीतर हम दुनिया को समझने और अपने जीवन को सुचारु करने में सक्षम होते हैं। परीक्षा विद्यार्थियों की ज्ञान, समझ, और कौशलों का मूल्यांकन करने का माध्यम होती है, जिससे उनकी अध्ययन योग्यता और प्रगति का मूल्यमापन हो सकता है। यह छात्रों

को सीखने में मार्गदर्शन करती है और जीवन सफल बनाने का अवसर प्रदान करती है।कल का सफल देश या समृध्द जीवन बनाने के लिए आज बहुत मेहनत करना होगी। स्पर्धा जीदंगी का हिस्सा उसका निरंतर सामना करना होगा यही सत्य है।

जय हिंद!!!

शैलेश दा. बापट

क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक, रत्नागिरी

राष्ट्रीय एकता और भाषा

भारत की एकता मात्र भौगोलिक एकता नहीं है। इस एकता का मुख्य कारण हैं जातियों का सामान्य इतिहास, उनकी सांस्कृतिक समानताएं, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका परस्पर संबंध और मिलाजुला विकास तथा चरित्र की सामासिकता एवं सहज संप्रेषण । भाषा केवल संप्रेषण ही नहीं करती, चरित्र का उदघाटन भी करती है। मात्र व्यक्ति के चरित्र को ही नहीं पूरे राष्ट्र के चरित्र को उजागर करती है। समाज को धारण करती है उसे ही भाषा कहते हैं भाषा समझने के लिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यों की राजभाषा आदि पर विस्तृत चर्चा अपेक्षित है।

(1) राजभाषा / राष्ट्रभाषा -

सामान्य तौर पर राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा वह भाषा जिसके द्वारा राजकीय कार्य किया जा सके, किसी भी देश अथवा राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः तीन क्षेत्रों - विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में अभिप्रेत है। इन तीन में जिस भाषा का प्रयोग होगा वह राजभाषा कहलाएगी।किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा आम तौर पर बोली और समझी जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। "राष्ट्रभाषा के लक्षण "में महात्मा गांधी ने पांच बातें कही हैं -

1. वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए।
2 उस भाषा के द्वारा भारत का आर्थिक, धार्मिक, नैतिक कामकाज होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थाई स्थिति पर जोर न दिया जाए।

(2) राज्यों की राजभाषाएं -

भारत में दोहरी शासन पद्धति होने के कारण राजभाषा की स्थिति दो प्रकार की है- केंद्रीय भाषा (जिसे भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफयूनियन कहा गया है) और राज्यों की राजभाषा(जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स कहा गया है) किसी भी राज्य की शासन-व्यवस्था का कामकाज उस राज्य की जनता द्वारा अधिकाधिक व्यवहृत होने वाली भाषा में किया जाता है उसे उस राज्य की राजभाषा कहा जाता है।

राज्यों की राजभाषा के रूप में बंगाल में बंगला, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, राजस्थान में हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा मणिपुर में मणिपुरी, गोवा में

कोंकणी, तथा सहभाषा के रूप में संथाली, डोंगरी, भोजपुरी, बोडो, उर्दू, सिंधी, नेपाली, अंग्रेजी आदि भाषाएं भी हैं।

(3) संपर्क भाषा ----

भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर उचित सम्मान दिया है। यही राजभाषा हिंदी एक सरल आसान संपर्क भाषा होने से राष्ट्रभाषा है, जो कि जम्मू से त्रावणकोर तक, भुज से लेकर कोहिमा तक बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। हिंदी संपर्क भाषा होने से उसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है, वह भाषा ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वह हमारी भावनाओं का प्रतीक है, स्वामी दयानंद से लेकर राजा राममोहन राय और केशव चंद सेन तक ने जिसे आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसे राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया उसके पीछे असली मनोवृत्ति यह थी कि हिंदी किसी एक क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष की ना हो कर विस्तृत जनसंपर्क की भाषा बने । जिसे राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या चाहे वह साक्षर हो अथवा निरक्षक जानती या समझती है। हिंदी संपूर्ण देश का संपर्क सूत्र होने से राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है, यह किसी संकुचित प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं है बल्कि समस्त भारत वर्ष में भारती के रूप में ग्रहण की जाती है।

4) आठवीं अनुसूची में अधिसूचित की जाने वाली भाषाएं -

(संविधान की अष्टम अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें देश की कामकाजी भाषाओं के रुप में मानयता दी गई है।इन की कुल संख्या 22 है । (1) असमिया(2) उड़िया (3) उर्दू (4) कन्नड (5) कश्मीरी (6) गुजराती (7) तमिल (8) तेलुगु (9) डोगरी (10) पंजाबी (11) बंगला(12) बोडो (13) भोजपुरी (14) मराठी (15) मलयालम(16) संस्कृत (17) संथाली (18) सिंधी (19) हिंदी (20)नेपाली (21) कोंकणी और (22) मणिपुरी

(5) हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के प्रमुख आधार -

(क) व्यापक जनसमूह- भू-भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा ---

हिंदी भाषा किसी ना किसी रूप में लगभग समूचे भारत में व्याप्त है। इसका विशाल भू-भाग सर्वमान्य है जिसकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अंबाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। दक्षिणी भी इसी का रुप होने से इसकी सीमा दक्षिण में मैसूर तक पहुंचती है।हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अतिरिक्त पंजाब एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र हिंदी पट्टी में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त दक्कनी हिंदी वाला भाग कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, शिलांग तथा कर्नाटक एवं अहिंदी भाषी राज्यों के कई भाग हिंदी क्षेत्र में गिने जाते हैं।

भारत के अतिरिक्त मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम, त्रिनिडाड, गुयाना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यानमार, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशो में करोड़ों की संख्या में हिंदी भाषी विद्यमान हैं। यहां तक कि इंग्लैंड, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमरीका, कनाडा, नार्वे, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के बड़े बड़े नगरों में भी हिंदी भाषियों की कॉलोनियां विकसित हो गई है।

(ख) विपुल साहित्य की उपलब्धता ---

किसी भी भाषा का गौरव उसकी साहित्य संपदा और वैचारिक निधि के आधार पर ही आंका जा सकता है। हिंदी को इस बात का गर्व है कि उसमें तुलसी, कबीर, सूर, जायसी, भारतेंदु, प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैनेंद्र, यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव आदि जैसे कवि एवं लेखक हुए हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में अतुलनीय हैं। अकेले तुलसी के आधार पर यह भाषा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो सकती है। हिंदी में ऐसी अनेक कालजयी कृतियां हैं कि यदि इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता तो इनमें से कई नोबेल पुरस्कार की अधिकारिणी से होती । भारतेंदु जी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. लोहिया गुणाकर मुले, डॉ नार्लीकर ने विज्ञान, तकनीकी मानवी की, अर्थतंत्र, राजनीति दर्शन आदि से संबंधित चिंतन एवं लेखन किया है वह हिंदी साहित्य की अनमोल संपत्ति है। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्दकोश आदि की लेखन कला पर भी विचार हुआ है।

आधुनिक परिदृश्य में हिंदी का साहित्य लेखन एक नया रूप धारण कर रहा है। व्यसन के लिए लिखने वाले अधिकांश व्यवसाय के लिए लिखने लगे हैं। साहित्य लेखन में हिंदी ने समय के साथ कई रूप धारण किए हैं। स्तंभ लेखन, फीचर, रिपोर्ताज, भेंटवार्ता पुस्तक-समीक्षा आदि के क्षेत्र में अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है। हिंदी साहित्य अब सर्जनात्मक लेखन, रंगमंच, पट कथा लेखन, संवाद लेखन, संभाषण कला, कमेंट्री कला, समाचार वाचन, विज्ञापन प्रचार, साहित्य लेखन, स्लोगन, सूक्ति लेखन आदि के रूप में वृद्धिगत हो रहा है। हिंदी ने साहित्य के रुप में रेडियो, दूरदर्शन, पत्रकारिता में भी अपनी जगह बनाई है। तात्पर्य यह है कि इन साहित्यिक विधाओं का दृश्य एवं श्रव्य में बंधना और उसके लिए सर्जनात्मक हिंदी की यह प्रयोजनमूलक परिणति बड़ी आशाप्रद है।

(ग) स्वतंत्र लिपि -

लिपि का सामान्य अर्थ है लिखा हुआ। लिपि लिखित चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसके सहारें भाषा को पहचानाजाता है, यही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव ने अपनी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा का होना कोई अर्थ नहीं रखता है यदि उसकी कोई स्वतंत्र लिपि न हो। हिंदी की अपनी एक लिपि है जिसे देवनागरी लिपि कहा जाता है।

देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। उत्तरी शैली के साथ-साथ दक्षिणी शैली में भी इसका विकास हुआ अतः देवनागरी लिपि मूलतः उत्तर भारत के लिए होते हुए भी कहीं-कहीं दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार प्रसार मिलता है। जहां जहां दक्षिण में इसका प्रचार मिलता है वहां- वहां इसे "नंदीनागरी "नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है देवनागरी के नामकरण के मूल में कहीं ना कहीं यह मत जरूर है कि इनका संबंध देवी-देवताओं या ब्राह्मणों से जो नागर या शिक्षित थे अवश्य रहा है। नागरी में 'नागर 'शब्द प्रमुख है जिसका अर्थ है - नगर का अर्थात सभ्य, शिष्ट और शिक्षित व्यक्ति । प्राचीन काल में संस्कृत ऐसी ही भाषा थी। अतःयह माना जा सकता है कि जिस लिपि में सभ्य, शिष्ट और परिष्कृत रुचि वाले व्यक्तियों द्वारा साहित्य रचा और लिखा गया वही देवनागरी लिपि कहलाई।

देवनागरी लिपि का समय 8 वीं और 9 वीं सदी बताया जाता है क्योंकि 10 वीं शताब्दी में तो देवनागरी लिपि का प्रचलन बहुतायत में था तब से लेकर अब तक देवनागरी वर्णमाला में कई इजाफे हुए तथा संशोधन के साथ यह लिपि प्रचलित होती गई। पहले वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाते थे किंतु

बाद में इसके ऊपर शिरो रेखा लगाने लगे। अ, ण, ध, भ, ल, झ, अक्षर बदल कर परिष्कृत हो गये। अंक पड़ी लकीर (--) के रूप लिखे जाते थे। 2 के लिए 2 पड़ी लकीरें, 3 के लिए 3 पड़ी लकीरें आठवीं सदी तक विद्यमान थी। बाद में ये लकीरें खड़ी (1) हो गयी।

देवनागरी लिपि में आज अपनी अलग अक्षर व्यवस्था है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आती है। अक्षर ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण बिना किसी व्यवधान के एक ही सांस में किया जा सकता है। मोटे रूप में कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षर की रचना स्वर से होती है। अक्षरात्मक लिपि में लिपि चिह्न एक अक्षर को प्रकट करता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्रत्येक लिपि चिह्न से किसी स्वर या व्यंजन युक्त स्वर की अभिव्यक्ति होती हैउदाहरणार्थ -- देवनागरी लिपि का ऋ चिन्ह र व्यंजन युक्त इ (ऋ = र्+इ) की अभिव्यक्ति करता है अतः ऋ अक्षरात्मक चिह्न है वैसे ही देवनागरी के मात्रा रहित व्यंजन चिह्न (क्,च,ट्,त्,प् आदि) अक्षरात्मक चिह्न हैं क्योंकि प्रत्येक चिह्न व्यंजन युक्त स्वर (क्+अ=क) की अभिव्यक्ति करता है।

देवनागरी अर्ध अक्षरात्मक लिपि है इस में कुल 52 अक्षर है जिनमें 13 वर्ण स्वर तथा 39 व्यंजन है जो इस प्रकार हैं -- स्वर----अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः
व्यंजन -कखगघ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द धनपफबभम

अंतस्थ वर्ण --य र लव

उष्म वर्ण---- श ष सह

संयुक्त व्यंजन ---क्ष त्र ज्ञ श्र

अतिरिक्त व्यंजन ----ड़ ढ़

(घ) भाषा का व्याकरण --

किसी भी भाषा का व्याकरण अपनी अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण बिंदु है। बिना व्याकरण के भाषा, भाषा न रहकर बोली बन जाती है। वस्तुतः एक क्षेत्र विशेष के जन समूह द्वारा बोली जाने वाली वाणी ही जब व्यवस्थित क्रम नियम अख्तियार कर लेती है तो उसे उस बोली (भाषा)का व्याकरण कहा जाता है। यह व्याकरण ही उस भाषा में साहित्य सृजन आदि में अहम भूमिका निभाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी का भी अपना अलग व्याकरण है। इसमें भी वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि हैं जिनके द्वारा भाषा को परिमार्जित किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता में हिंदी ने अहम् भूमिका निभाई है, भारत की एकता को अखंडित किया है और भारत की एकता में संपर्क सूत्र का काम किया है। कहा जाता है कि बिना भाषा के राष्ट्र गूंगा होता है तो हिंदी ने भारत की आत्मा को पहचाना और संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा का रूप अख्तियार किया और यह भूमिका सदियों तक निभाती रहेगी।

- राजेश पी जोशी
क्षेत्रीय राजभाषा अधिकारी एवं
क्षेत्रीय विद्युत अभियंता /रत्नागिरी

सत्यनिष्ठता की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि

"कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते" अर्थात सत्कर्म और कर्तव्यनिष्ठता का पालन करने वाले व्यक्ति को सदैव सफलता और सुरक्षा प्राप्त होती है।

सत्यनिष्ठा मानवीय मूल्यों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सत्य बोलने, सत्य करने और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्यनिष्ठा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व की बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की भी नींव है। अखंडता वाले समाज और राष्ट्र अधिक समृद्ध और खुशहाल बनते हैं। यह निबंध किसी राष्ट्र की अखंडता और समृद्धि के बीच अटूट संबंध पर प्रकाश डालता है। सत्यनिष्ठा सत्य बोलने और सत्य करने की मानसिक स्थिति है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ईमानदारी केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कार्यों में भी प्रकट होती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति विश्वसनीय, ईमानदार और निस्वार्थ होता है।

ईमानदारी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईमानदारी वाला व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और दूसरों का विश्वास जीतता है। वह हमेशा सच बोलती है और अपने कार्यों में दृढ़ रहती है। ईमानदार व्यक्ति को समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। ईमानदारी सभ्य समाज का आधार स्तंभ है। अखंडता वाले समाज अधिक सभ्य, सहिष्णु और एकजुट होते हैं। ईमानदारी वाले समाज में अपराध कम होते हैं और न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है।

अखंडता किसी राष्ट्र की प्रगति की नींव है। अखंडता वाला राष्ट्र अधिक समृद्ध, शक्तिशाली और सम्मानित होता है। अखंडता वाले राष्ट्र में भ्रष्टाचार कम होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। अखंडता वाले देश में नागरिक बुनियादी अधिकारों का आनंद लेते हैं और स्वतंत्र रूप से सोचने और खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अखंडता किसी भी समाज और राष्ट्र की रीढ़ होती है। इसके आधार पर राष्ट्र प्रगति कर सकता है। समाज में विश्वास और पारदर्शिता तभी पैदा की जा सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठा का पालन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। ईमानदारी सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें सत्य के प्रति सम्मान, ईमानदारी और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने की इच्छा शामिल है। जब किसी राष्ट्र के नेता, अधिकारी और नागरिक सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं तो वह राष्ट्र प्रगति करता है।

सबसे पहले, सत्यनिष्ठा का आचरण समाज में विश्वास पैदा करता है। जब नेता और अधिकारी ईमानदार होते हैं, तो नागरिक उन पर भरोसा करते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और जनभागीदारी बढ़ती है। साथ ही, ईमानदारी भ्रष्टाचार को रोकती है। भ्रष्टाचार देश की प्रगति में बाधा डालता है और आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ईमानदार अधिकारी और नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ईमानदारी से समाज में पारदर्शिता बढ़ती

है। सभी निर्णय, कार्य और लेन-देन पारदर्शिता से होते हैं, नागरिकों को हर चीज़ की जानकारी मिलती है। इससे भ्रष्टाचार, बेईमानी और अन्याय पर रोक लगती है। इसके अलावा, अखंडता से राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होती है। ईमानदारी और पारदर्शिता से विदेशी निवेश बढ़ता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। साथ ही, अखंडता सामाजिक न्याय और समानता की ओर ले जाती है। ईमानदारी सभी को समान अवसर देती है और सामाजिक अन्याय से निपटना आसान बनाती है।

सत्यनिष्ठा केवल एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक कार्य है। यदि सभी लोग अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी का पालन करें तो राष्ट्र प्रगति कर सकता है। इससे राष्ट्र की एकता और क्षमता बढ़ती है। सत्यनिष्ठा का अभ्यास करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में ईमानदारी के मूल्यों को पढ़ाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इसका पालन करेगी और देश प्रगति करेगा। किसी देश की अखंडता और विकास का गहरा संबंध है। सत्यनिष्ठा नैतिकता की आधारशिला है, जो समाज में विश्वास, पारदर्शिता और न्याय पैदा करती है। इन मूल्यों के बिना किसी राष्ट्र का विकास बाधित होता है। सत्यनिष्ठा का अभ्यास करने से कई क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति होती है। सत्यनिष्ठता समाज में विश्वास पैदा करती है। जब नेता, अधिकारी और नागरिक ईमानदार होते हैं तो आपसी विश्वास बढ़ता है। विश्वास सहयोग और संचार का माहौल बनाता है। यह वातावरण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही, ईमानदारी भ्रष्टाचार को रोकती है। भ्रष्टाचार देश के संसाधनों को बर्बाद करता है और विकास परियोजनाओं को रोक देता है। ईमानदार अधिकारी और नेता भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाकर नैतिकता का पालन करें। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और देश के संसाधनों का कुशल उपयोग होता है।

सत्यनिष्ठता से समाज में पारदर्शिता बढ़ती है। सभी निर्णयों और कार्यों को पारदर्शी बनाने से नागरिकों को सब कुछ पता चल जाता है। इससे सामाजिक न्याय और समानता की भावना पैदा होती है। पारदर्शिता अन्याय को रोकती है और सभी को समान अवसर देती है। आर्थिक विकास के लिए अखंडता का महत्व भी अद्‌वितीय है। सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यवहार से विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। यदि निवेशकों को किसी देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है, तो वे अधिक निवेश करते हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में सत्यनिष्ठा बरती जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ईमानदार शिक्षक और छात्र शिक्षा में ईमानदारी का पालन करते हैं, जिससे शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होता है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर विद्‌यार्थी राष्ट्र की प्रगति के लिए सशक्त बनते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है। ईमानदार डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीजों की उचित देखभाल करते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। सही तरीके से स्वास्थ्य देखभाल मिलने से लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

सामाजिक न्याय के लिए भी सत्यनिष्ठा का पालन आवश्यक है। यदि समाज के सभी तत्व ईमानदार हों और एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें तो सामाजिक न्याय का निर्माण होता है। सभी को न्याय मिलने से समाज में एकता और सद्‌भाव बढ़ता है। सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के कारण ही कोई समाज सशक्त एवं सभ्य बनता है। नैतिकता का अनुपालन भ्रष्टाचार, अन्याय और बेईमानी को रोकता है। यह समाज में विश्वास, पारदर्शिता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य में सुधार करता

है। और ये सभी कारक मिलकर देश के विकास को बढ़ावा देते हैं। सत्यनिष्ठा का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी से राष्ट्र की उन्नति संभव होती है तथा राष्ट्र सशक्त, समृद्ध एवं सुविचारित बनता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कोई बाधा नहीं आएगी और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए सत्यनिष्ठा का आचरण अनिवार्य है। अखंडता एक राष्ट्र की संपत्ति है और यदि इसका पालन किया जाए तो यह राष्ट्र के लिए बाधा नहीं बनेगी। जो राष्ट्र अखंडता का पालन करता है वह सदैव विकास के पथ पर अग्रसर होता है। सत्यनिष्ठा मानवीय मूल्यों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सत्य बोलने, सत्य करने और सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्यनिष्ठा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व की बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की भी नींव है। सत्यनिष्ठता समाज और राष्ट्र को अधिक समृद्ध और खुशहाल बनती हैं। हम सबको मिलकर सत्यनिष्ठता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए तभी राष्ट्र प्रगति-पथ पर बना रहेगा। अंत में मेरी दो पंक्तियों के साथ मेरे विचारों को यही विराम देता हूं।

“ सबका साथ और सबका विकास के भाव सहित,
सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से चलो हम काम करें।
देश के प्रति परमार्थ भाव को रखकर,
भारत को स्वर्णिम राष्ट्र करें।

संतोष वामन पाटोळे
कनिष्ठ अनुवादक, रत्नागिरी

राजभाषा नियम - 1976 का नियम - 10

नियम 10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1) **(क) यदि किसी कर्मचारी ने**-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसाज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसा

धक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किर्स तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम ह गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित क सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचि कार्यालय नहीं रह जाएगा।

विद्युत सुरक्षा

किसी भी सुविधा में, सबसे आम तौर पर ,सामने आने वाले, खतरों में से एक, बिजली है |

बिजली के साथ काम करना खतरनाक हो सकता है। इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य पेशेवर ,सीधे बिजली के साथ काम करते हैं, जिसमें ओवरहेड लाइन, केबल हार्नेस और सर्किट असेंबली पर काम करना शामिल है। अप्रत्यक्ष रूप से बिजली के साथ काम करने वाले कार्यालय कर्मचारी और बिक्री व्यक्ति जैसे अन्य लोग भी बिजली के खतरों के संपर्क में आ सकते हैं।
कई कर्मचारी अपने कार्य वातावरण में मौजूद ,संभावित विद्युत खतरों से ,अनजान हैं, जो उन्हें बिजली के झटके के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। विद्युत कार्य से जुड़ी चोट के जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संभावित समाधान लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्सुलेशन, गार्डिंग, ग्राउंडिंग, विद्युत सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं का उपयोग शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्युत उपकरणों की स्थापना, रखरखाव या मरम्मत एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण ,आपके कर्मचारी को, कार्यसफल होने की विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

विद्युतीय खतरा
बिजली के खतरों से लगने वाली चोटें मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं
बिजली का झटका (Electrocution)(घातक)
विद्युत का झटका (shock)
विद्युत ऊर्जा के संपर्क के परिणामस्वरूप गिरना
कुछ सामग्रियों में बिजली दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से प्रवाहित होती है। सामान्य लेकिन शायद अनदेखा किया गया कंडक्टर पृथ्वी की सतह या उपसतह है। वायु संवाहक बन सकती है जैसा कि चाप या बिजली के झटके के दौरान होता है। अशुद्धियों वाला पानी बिजली का अच्छा संवाहक है| नम या गीले वातावरण में बिजली के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिजली के खतरों को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बिजली सामान्यतः कंडक्टर के माध्यम से बंद सर्किट में यात्रा करती है लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति का शरीर गलती से विद्युत सर्किट का हिस्सा बन जाता है।
इससे बिजली का झटका लग सकता है. झटके तब लगते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर करंट पथ को पूरा करता है

1. विद्युत परिपथ के दोनों तार
2. ऊर्जावान सर्किट का एक तार और जमीन
3. धातु का भाग जो टूट जाने के कारण आकस्मिक रूप से सक्रिय हो जाता है या
4. एक अन्य कंडक्टर जो करंट प्रवाहित करता है जब व्यक्ति को झटका लगता है, तो बिजली शरीर के एक हिस्से के बीच या शरीर से होते हुए जमीन तक प्रवाहित होती है। बिजली के झटके से हल्की झुनझुनी से लेकर तत्काल हृदय गति रुकने तक कुछ भी हो सकता है। बिजली के झटके कभी-कभी व्यक्ति का चिपकनेका कारण बनते हैं जिससे व्यक्ति सर्किट से मुक्त होने में असमर्थ हो जाता है। बिजली के झटके से गंभीर जलन हो सकती है। गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है

* शरीर में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा
* शरीर के माध्यम से धारा का पथ
* शरीर के सर्किट में रहने की अवधि
* धारा की फ्रिक्वेन्सी

यदि झटके से विस्तारक मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती हैं, तो व्यक्ति शक्ति स्रोत से दूर जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क से "जमा हुआ" है, तो तुरंत करंट बंद कर दें। यदि यह संभव नहीं है, तो लकड़ी या किसी अन्य बिना चालक सामग्री से बने बोर्ड, खंभे या छड़ियों का उपयोग करें और व्यक्ति को सुरक्षित रूप से धक्का दें या संपर्क से दूर खींचें। शीघ्रता से कार्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप को बिजली के झटके से भी बचाना याद रखें।

झटके और जलने के खतरों के अलावा, बिजली अन्य खतरे भी पैदा करती है, जैसे शॉर्ट सर्किट के परिणामस्वरूप होने वाले आर्क से चोट लग सकती है या आग लग सकती है। उच्च ऊर्जा आर्क उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे खंडित धातु सभी दिशाओं में उड़ सकती है। यहां तक कि कम ऊर्जा वाले चाप भी वायुमंडल में हिंसक विस्फोट का कारण बन सकते हैं जिनमें ज्वलनशील गैसें, वाष्प आदि होते हैं|

अधिकांश विद्युत दुर्घटनाएँ किसके परिणामस्वरूप होती हैं?

1 असुरक्षित उपकरण या स्थापना।

2 असुरक्षित वातावरण या

3 असुरक्षित कार्य प्रथाएँ।

दुर्घटनाओं को रोकने के कुछ तरीके इन्सुलेशन, गार्डिंग, ग्राउंडिंग, विद्युत सुरक्षात्मक उपकरणों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के उपयोग के माध्यम से हैं। धातुओं और अन्य कंडक्टरों को कोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कांच, अभ्रक, रबर या प्लास्टिक जैसे "इंसुलेटर" बिजली के प्रवाह को रोकने या कम करने में मदद करते हैं। मौजूदा इससे झटके, आग और शॉर्ट सर्किट को रोकने में मदद मिलती है। इन्सुलेशन ,उपयोग किए गए वोल्टेज,तापमान ,और ,नमी, तेल आदि जैसे अन्य पर्यावरणीय घटकों के लिए उपयुक्त और प्रभावी होना चाहिए जो इंसुलेटर के विफल होने का कारण बन सकते हैं।

विद्युत उपकरणों को बिजली स्रोत से जोड़ने से पहले संभावित प्रभावों के लिए किसी भी खुले तार

के इन्सुलेशन की जांच करना एक अच्छा विचार है। एक्सटेंशन तार विशेष रूप से क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं। "सुरक्षा" में विद्युत उपकरण का पता लगाना या उसे घेरना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग गलती से इसके जीवित हिस्सों के संपर्क में न आएँ। लोगों को बिजली के खतरे के प्रति सचेत करने और अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए विद्युत कक्षों और समान स्थानों के प्रवेश द्वारों पर विशिष्ट संकेत लगाए जाने चाहिए। संकेतों में "खतरा", "चेतावनी", "सावधानी" शब्द शामिल हो सकते हैं या "खतरा/उच्च वोल्टेज/दूर रहें" आदि जैसे निर्देश दिए जा सकते हैं।

किसी उपकरण या विद्युत प्रणाली को "ग्राउंडिंग" करने का अर्थ जानबूझकर एक कम प्रतिरोध पथ बनाना है जो पृथ्वी से जुड़ता है। यह वोल्टेज के निर्माण को रोकता है जो विद्युत दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह बिजली के झटके से बचाने के लिए एक द्वितीयक सुरक्षात्मक उपाय है। एक ग्राउंड उपकरण ,उपकरण ऑपरेटर की सुरक्षा में मदद करता है। यह उपकरण या मशीन से जमीन तक करंट प्रवाहित करने के लिए दूसरा मार्ग प्रदान करता है। यदि किसी खराबी के कारण उपकरण का धातु फ्रेम सक्रिय हो जाता है तो यह अतिरिक्त ग्राउंड ऑपरेटर की सुरक्षा करता है। धारा का परिणामी प्रवाह, सर्किट सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय कर सकता है।

"सर्किट सुरक्षा उपकरण" (circuit protection devices) ग्राउंड फॉल्ट, ओवरलोड या वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट के प्रवाह को स्वचालित रूप से सीमित या बंद कर देते हैं। इन उपकरणों के प्रसिद्ध उदाहरण फ़्यूज़, सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड-फ़ॉल्ट सर्किट इंटरप्टर और आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर हैं।

सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ --

1. निरीक्षण या मरम्मत से पहले बिजली के उपकरणों को डी-एनर्जेट करना
2. बिजली के उपकरणों का उचित रख-रखाव करना
3. ऊर्जावान लाइनों के पास काम करते समय सावधानी बरतें
4. उचित सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना
5. धातु के उन हिस्सों से बचाव करें जो ऊर्जावान हो जाते हैं।
6. आकस्मिक या अप्रत्याशित उपकरण स्टार्ट होने से रोकें
7. अपने आप को ओवरहेड बिजली लाइनों से बचाएं
8. कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें
9. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें.

चूंकि बिजली को लंबे समय से एक गंभीर, कार्यस्थल खतरे के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे कर्मचारियों को बिजली के झटके, जलन, आग और विस्फोट का सामना करना पड़ता है, हम कह सकते हैं -

सुधा पंडित
क्षेत्रीय प्रबन्धक (सू.प्रौ.)/ रत्नागिरी

विश्व हिंदी दिवस: हिंदी भाषा का गौरव

विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से "विश्व हिंदी सम्मेलनों" की शुरुआत की गई और प्रथम "विश्व हिन्दी सम्मेलन" 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। इसके उपलक्ष्य में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी, 2006 को प्रति वर्ष 10 जनवरी को "विश्व हिन्दी दिवस" के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। तदनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी, 2006 को पहली बार विश्व हिन्दी दिवस मनाया था। तब से "विश्व हिंदी दिवस" प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

आइए अब विश्व में हिन्दी के प्रसार के बारे में जानकारी लेते हैं। यूएन (संयुक्त राष्ट्र) के अनुसार पूरे विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाएँ 6809 हैं और इनमें से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारिन है जो कि चीन की राजकीय भाषा भी है। इसके बाद स्थान आता है हिंदी का। भारत और विदेश में लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और इस भाषा को समझने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 90 करोड़ है। हिंदी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है। इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों के पश्चात प्राप्त किया है। बड़ी संख्या में बोलीगत विभिन्नताएं आज भी मौजूद हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिए संयुक्त है। हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत से आए हैं। इसका व्याकरण की भी संस्कृत भाषा के समान है।

उल्लेखनीय है कि सभी प्रधान भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। एक समय संस्कृत विश्व पर राज करती थी।संस्कृत का ज्ञान अर्जन करने के लिए पूरे विश्व के लोग तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों में आते थे। साहित्यकार आरूणि त्रिवेदी के अनुसार इस बात के कई प्रमाण हैं कि विश्व के बहुत से देशों के बीच संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत न सिर्फ प्रमुख थी बल्कि यह अन्य भाषाओं के तकनीकी शब्दों को भी प्रभावित कर चुकी थी। संस्कृत भारत में प्रचलित अंक विद्या, दशमलव प्रणाली, आयुर्विज्ञान, रसायन और भेषज विज्ञान, गणित, भूगोल, खगोल विज्ञान और ज्योतिषशास्त्र के शब्द भारत से फारस, अरब, तुर्क और यूनान होते हुए यूरोप तक पहुंचे। संस्कृत के मातृ, पितृ और भ्रातृ से परिवर्तित हो कर मदर, फादर और ब्रदर हो गए। 'अ' से अलिफ और अलिफ से अल्फा बना। एक बृहत्तर भारत भी था जिसका स्तर आज के खाड़ी देशों से लेकर ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर (सिंहपुर), इंडोनेशिया (हिंदेशिया) तक था। आज भी इन देशों के लोगों के नाम भारतीयों के समान

हैं जैसे इंडोनेशिया की नेत्री मेघावती सुकर्णोपुत्री, श्रीलंका के क्रिकेटर अरविंद और अर्जुन रणतुंग वगैरह। पूर्वी एशिया के अनेक देशों के नाम तक भारतीय हैं- सुमात्रा, जावा (जो संस्कृत शब्द यव से बना है) मलय (जो रोमन लिपि के भाव से मलाया हो गया), कुंभोज(अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कंबोडिया हो गया)। जर्मनी के कुछ छात्र इसलिए संस्कृत सीखते हैं कि संस्कृत सीखने के बाद विश्व की कोई भी भाषा सीखना आसान हो जाता है। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। एक यूरोपीय यात्री जो 12वीं शताब्दी में भारत से होकर गुजरा था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं हिंदवी भाषा जानता हूं अत: मुझे ईरान से लेकर हिन्देशिया तक भाषा की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि मुझे प्रत्येक स्थान पर हिन्दवी बोलने और समझने वाले मिल जाएंगे अर्थात आज से करीब 900 साल पहले हिंदी इस विश्व में व्याप्त थी और आज भी व्याप्त है। टीवी चैनलों पर संगीत की प्रतियोगिताओं वाले कार्यक्रम और महिलाओं के धारावाहिक विश्व भर में देखे जा रहे हैं। मीडिया का सूचना संसार हिंदी का भक्त है।

आज हिंदी विश्व के लगभग पचपन देशों में फैले पचास करोड़ से अधिक लोगों की अभिव्यक्ति की भाषा बन गई है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि भारत के पड़ोसी देशों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में फैलती जा रही है। विश्व के दो सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी के भाषाई और साहित्य पर शिक्षण एवं अनुसंधान हो रहा है। सुप्रसिद्ध लेखक अच्युतानंद मिश्र एक लेख में बताते हैं कि हिंदी में व्याकरण लेखन की शुरूआत डच के एक विद्वान 'जोशुआ केटलियर' ने 1695-98 में लखनऊ में की थी। वर्ष 1744 में बेंज़ामिन शुल्तज ने 'ग्रामेटका हिंदोस्तानिका' पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक लैटिन भाषा में थी। 1773 में जॉनफ़ग्र्यूसन की 'हिंदुस्तानी डिक्शनरी' प्रकाशित हुई। गिलक्रिस्ट ने 1787 -1796 के बीच कोलकाता में 'हिंदुस्तानी कोश' तैयार किया था। 12 अगस्त, 1881 का जो आदेश लंदन से सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज़ कमीशन को भेजा गया उसके अनुसार भारत आने वाले अंग्रेजों को हिंदी मैन्युअल पढ़ना और हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया' (भारत का भाषा सर्वेक्षण) जैसा विशाल ग्रंथ तैयार किया था, उस समय की सरकार ने 1927 में 11 खंडों में इसका प्रकाशन किया था। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिंदी विश्व के मानचित्र में अपनी उपस्थिति सशक्त ढंग से दर्ज़ करा रही थी। इसके ज़रिये भारतीय संस्कृति भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज़ करा रही थी और करा रही है। आज विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग सीखने के लिए हिंदी का माध्यम अपना रहे हैं।

हिंदी को लेकर विदेशियों में भी भारत की संस्कृति को समझने की रुचि बढ़ी है। यही कारण है कि कई देशों ने अपने यहाँ भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की है।भारतीय धर्म, इतिहास और संस्कृति पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा इन केंद्रों में हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसी कई भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस परिदृश्य में अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों को देखते हुए संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों की भाषाओं की अन्तर - शिक्षा की जरूरत महसूस की जाने लगी है।इस विवरण ने अन्य देशों में हिंदी को लोकप्रिय और सरलता से सीखने योग्य भारतीय भाषा बनाने में काफी योगदान किया है। अमरीका में कुछ स्कूलों में फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन के साथ-साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला

किया गया है। न्यूयार्क में हिंदी शिक्षण के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ है। टेक्सास के बलैटे हाई स्कूल में 'नमस्ते जी' पाठ्य पुस्तक बेहद लोकप्रिय हो रहा है। आस्ट्रेलिया के सरकारी स्कूलों में मेल्बर्न का रेंजबेंक प्राइमरी स्कूल विक्टोरियन प्रदेश का पहला स्कूल है जिसने अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने की स्वीकृति दी है जहां लगभग 500 से अधिक बच्चे हिंदी सीख रहे हैं।इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि हिंदी ने भाषा-विषयक कार्य-क्षेत्र में स्वयं के लिए एक वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, मुक्त बाज़ार की आर्थिक नीतियां और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में आज विश्व के मानचित्र पर जो नए भाषाई समीकरण उभर रहे हैं उसमें हिंदी अपनी क्षमता का परिचय दे रही है। भूमंडलीकरण के परिवेश में भाषाओं ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञान, सृजन, व्यापार, व्यवसाय, साहित्य-संस्कृति को बढ़ाने के लिए अब हिंदी भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर रही है। वैश्वीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं के विस्फोट और प्रमुख भाषाओं के बीच अब सांस्कृतिक सामंजस्य और सौहार्द बढ़ रहा है, यह एक शुभ संकेत है। इससे भाषाई, साहित्यिक-सामाजिक आदान-प्रदान और आवश्यकता की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि आज अमरिका, जर्मनी, चीन जैसे देश हिंदी सीखने के लिए प्रयासरत हैं। कदाचित ये भारत को बाज़ार के रूप में देखते हैं इसलिए भी हिंदी सीख रहे हैं। बाज़ार हिंदी की जयघोष का शंखनाद कर रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन, लार्सन एंड टूब्रो, कोलगेट, कोको कोला जैसी सैकड़ों कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए हिंदी का सहारा ले रही है, वे जानती है कि हिंदी एक शक्ति है, उसी के माध्यम से हिंदी जनता तक पहुंचा जा सकता है। कितनी बड़ी ताकत है हिंदी की, जिसके कारण वह विश्व में अपना परचम फहरा रही है।

आज यह बात महत्वपूर्ण है कि मॉरीशस के प्रथम प्रधानमंत्री डॉ. सर शिवसागर (जो मॉरीशस के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं) ने 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि 'हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्व है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है'। आज वह बात पूर्णता: सिद्ध हो रही है। सबको यह सर्वसम्मति से मानना चाहिए कि हिंदी का इतिहास तो गौरवमयी है ही पर उसका भूगोल तेजी से अंतर्राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है। अब हिंदी भाषा नहीं रही, वह जीने की ग्लोबल शैली बनती जा रही है। एक समय था जब विश्व में ब्रिटिश राज्य का सूरज डूबता नहीं था। आज दुनिया में हिंदी का सूरज नहीं डूबता है। यदि हिंदी का यह जादू नहीं होता तो क्या गुगल, विकिपीडिया लाखों पृष्ठ हिंदी में देता। हिंदी की गरिमा और महिमा दोनों बढ़ रही है। वह अब सांस्कृतिक, सामाजिक आत्मीयता रचने का माध्यम बन रही है और जिंदगी का हिस्सा बन रही है।

सदानंद चितळे
राजभाषा अधिकारी
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भाषा समाज का दर्पण

भाषा एक सामाजिक संस्था है जिसका उपयोग समाज की मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। भाषा और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भाषाओं का प्रयोग समाज में उनकी स्थिति से निर्धारित होता है। भाषा और समाज दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य और एकता की भावना पैदा होती है। समाज के विभिन्न वर्ग अपनी प्रकृति, अध्ययन और संस्कृति के माध्यम से भाषा में खुद को अभिव्यक्त करते हैं, जो समाज में उनकी स्थिति के आधार पर उनकी भाषा और संस्कृति का निर्धारण करती है। भाषा और समाज दोनों महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ने में मदद करता है और समाज में भेदभाव को दूर करने में मदद करता है। भाषा और समाज दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो भाषा के संरक्षण और प्रचार को महत्वपूर्ण बनाता है और साथ ही सामुदायिक एकता की भावना पैदा करने में सहायता करता है।

भाषा व्यक्ति के संस्कारों की संवाहक है। भाषा के बिना, किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा हमें राष्ट्रीयता और एकात्मता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, 'कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी'। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है बल्कि भाषा से इन्सान की प्रवृत्ति और प्रकृति भी उजागर होती है। भारत में वैसे तो लगभग 121 भाषाएं बोली जाती है इसलिए भारत देश को बहुभाषिक राष्ट्र भी कहा जाता है। इतनी भाषाएं बोली जानेवाला भारत इकलौता राष्ट्र है। भारतीय भाषाओं की विशेषता यह भी रही है कि भारत में बोली जानेवाली भाषाओं को वैज्ञानिक आधार है। सभी भारतीय भाषाएं जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। विदेशी भाषाओं जैसे इसमें साइलेंट अक्षर नहीं होते हैं। भारतीय भाषाओं की लिपियां भी भिन्न-भिन्न है और उनकी अलग विशेषताएं भी है।

भारत देश पर कई परकीय आक्रांता द्वारा हमले किए गए। उनके द्वारा भारत की संस्कृतिक विरासतों के प्रतिक एवं भाषाओं को भी नुकसान पहुँचाया गया। जब मुघलों का शासन था तब प्रशासनिक भाषा के तौर पर फ़ारसी भाषा का प्रचलन था। मुघलों के साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में अंग्रेजों का प्रशासन रहा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक भाषा के तौर पर लागू किया। भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया और काफ़ी लंबे समय तक यह भाषा हिंदुस्थान में प्रचलित रही। प्रशासनिक कामकाज एवं शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही था। अंग्रेज प्रशासन के समाप्ति पर 15 अगस्त, 1947 को जब भारत देश आज़ादी हुआ उसके बाद भी दो साल तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रचलन भारत में बना रहा। किंतु जब अंग्रेजी भाषा को हटाने की मांग ज़ोर

पकड़ने लगी तो 12 सितंबर, 1949 को संविधान सभी का आयोजन किया गया और इसमें प्रत्येक राज्य के भाषायी प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। यह बहस दो दिनों तक चली जिसमें आख़िरकार 14 सितंबर, 1949 को भारत की अधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी भाषा का चुनाव किया गया। भारत में 22 भारतीय भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें राज्य सरकारें प्रशासनिक काम-काम करती है।

भाषा समाज को सुसंस्कृत एवं आगे बढ़ाने का काम करती है। समाज का विकास भाषा के विकास के साथ जुड़ा रहता है। भाषा जितनी समृद्ध होगी समाज भी उतना की प्रगत होगा। इसलिए भाषाओं का संवर्धन करना और लगातार उनका प्रयोग करते रहना आवश्यक होता है। अन्यथा भाषाएं मृतप्राय होती है और जब भाषाएं समाप्त होती है तो उस देश के विकास की गति भी धीमी और प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले का उदाहरण दिया जा सकता है। मैकाले का मानना था कि उस वक़्त की शिक्षा और संस्कृति से भारतीय मानसिक रूप से कभी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर उनको गुलाम बनाना है, तो उनकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। इसी तथ्य को मध्य नजर रखते हुए, व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर मैकाले ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था शुरू की जिसका माध्यम पूरी तरह से अंग्रेज़ी था मैकाले ने उस वक्त की शिक्षा पद्धति को खत्म करने के लिए बिना किसी सरकारी नोटिस के जिम्मा ले लिया था और उसने भारतीय युवाओं को इस प्रकार से जाल में फसाया की अगर आप वर्तमान शिक्षा पद्धति लेते हैं बजाय गुरुकुल शिक्षा पद्धति के तो आपको तत्काल सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। इस सरकारी नौकरी के लालच में लोग गुरुकुल की बजाय मैकाले के स्कूलों में जाने लगे। जिससे गुरुकुल का अस्तित्व खत्म हो गया। गुरुकुल के खत्म हो जाने से वहाँ जिस भाषा में विषयों को पढ़ाया जाता था वह भाषाओं का प्रचलन भी बंद हो गया और बच्चे व्यावसायिक शिक्षा लेने लगे जो अंग्रेज़ी भाषा में था। इससे स्थानीय भाषाएं बोलचाल से कम होती चली गई और उसका स्थान अंग्रेज़ी भाषा ने लिया।

भाषाविद का यह भी कथन विचार योग्य है कि जब किसी देश, प्रांत या समुह की भाषा प्रचलन से बंद होती है तो वह केवल इससे उस भाषा का नुकसान नहीं होता अपितु उस देश की संसकृति की भी हानि होती है। वैसे किसी भी भाषा को सीखना और उसका प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है बल्कि सभी भाषाओं की अपनी एक अलग विशेषताएं है और अलग ढंग है। इस कारण सभी भाषाओं को अपनाना उनको सीखना आवश्यक है। किंतु इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे अपनी मूल भाषा को कोई क्षति न पहुँचे।

भाषा के पतन को यदि रोकना है तो हमें अधिक से अधिक उस भाषा का प्रयोग करना आवश्यक जिससे समाज में भाषा का प्रचलन बना रहे और आनेवाली पीढ़ियां भी उस भाषा को सीखे। भाषा को समाज का दर्पण इसीलिए कहा गया है। जिसप्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते है भाषा से भी हमारे संस्कृति की महान विरासत उजागर होती है।

सतीश एकनाथ धुरी
हिंदी अनुवादक, राजभाषा विभाग,
कारवार क्षेत्र

ग्लोबल वार्मिंग

पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अधिकतर जीवाश्म ईंधन जला ने और वायुमंडल में खतरनाक प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण होती है।

ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप जीवित चीजों को बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ स्थानों पर तापमान अचानक बढ़ जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर अचानक गिर जाता है।

ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। यह देखा गया है कि पिछले दस वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डि ग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह चिंता का कारण है क्यों कि यह पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है तथा पर्यावरणीय गड़बड़ी पैदा कर सकता है। यदि हम अपने जंगलों में नष्ट हो चुकी वनस्पतियोंको फिरसे लगा नेके लिए निर्णायक कार्रवाई करते हैं, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा करने के लिए हम सौर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा जैसे टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारण :-

जीवाश्म ईंधन का उपयोग :-

जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों जैसे तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि को संदर्भित करता है, जिन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं और उनके उपयोग से पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। इन जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है और उनके धुएं ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण हैं। न केवल वे ओजोन परत में छेद करते हैं बल्कि वे फंस जाते हैं और ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और पृथ्वी लगातार गर्म होती रहती है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग बिजली, वाहनों को चलाने और कई अन्य ग्रीनहाउस उत्सर्जन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग के भयानक प्रभावों को बढ़ाते हैं।

औद्योगीकरण :-

औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, खास तौर पर 18वीं सदी की अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति के मॉडल पर

आधारित औद्योगिकीकरण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा करता है। कारखानों की प्रक्रियाएँ टनों ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं, जिससे अत्यधिक वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसके लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाला परिवहन, अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रणाली, और कई अन्य।

वनों की कटाई :-

वनों की कटाई शहरीकरण का एक पहलू है, जिसमें अधिक शहरीकृत शहरों के लिए अधिक जगह बनाई जाती है, जैसा कि हमने पश्चिमी मॉडलों में देखा है जहाँ शहर हरे पेड़ों के बजाय ग्रे इमारतों से भरे होते हैं। पेड़ और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही कारण है कि वनों की कटाई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ा कारण है।

विनिर्माण और उत्पादन के तरीके :-

रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन के तरीके अक्सर बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण हैं। उदाहरण के लिए, सूती कपड़ों के उत्पादन में टनों गैलन पानी का उपयोग होता है। यहां तक कि कृषि पद्धतियां भी बहुत अधिक मात्रा में मीथेन, एक ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न करती हैं।

बढ़ती जनसंख्या :-

जैसे-जैसे किसी देश और दुनिया की आबादी बढ़ती है, जैसा कि पिछली कुछ शताब्दियों में बढ़ती दर से हुआ है, इस आबादी की ज़रूरतें भी उसी दर से बढ़ती हैं। इसे बनाए रखने के लिए, औद्योगीकरण बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, इस प्रकार पहले की तुलना में अधिक पेड़ों को काटा जाता है, उपभोग की माँगों को पूरा करने के लिए उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। इस प्रकार, बढ़ती जनसंख्या ग्लोबल वार्मिंग के अधिकांश कारणों में से एक सामान्य कारक है।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव :-

ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन जैसे सूखा, समुद्र का जलस्तर बढ़ना, लंबे समय तक गर्मी की लहरें, बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगना और मौसम के पैटर्न में व्यवधान होता है। इन प्रभावों को समान रूप से महसूस नहीं किया जाता है, कुछ क्षेत्रों और लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक कष्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है जिसका हमने एक प्रजाति के रूप में सामना किया है, और यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसके परिणाम अंततः पृथ्वी पर हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे।

ग्लोबल वार्मिंग के पर्यावरणीय प्रभाव :-

अत्यधिक गर्मी और सूखा :-

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में बेमौसम और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी में वृद्धि देखी गई है, 2023 को वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना गया है। अत्यधिक गर्मी से न केवल आबादी पर हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह सूखे और जंगल की आग में भी योगदान देता है।

बर्फ पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना :-

ग्लोबल वार्मिंग के कारण न केवल आर्कटिक क्षेत्र में बल्कि हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में भी

ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आर्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने से वैश्विक स्तर पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है और भूमि का क्षरण हो रहा है। अफ़गानिस्तान जैसे हिमालयी देशों में , पहाड़ों की बर्फ पिघलने से बाढ़, भूस्खलन का खतरा और कृषि उपज में कमी हो सकती है।

मौसम के पैटर्न में व्यवधान :-

गर्म तापमान भी मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है, जैसे कि बारिश। वातावरण में अतिरिक्त नमी के साथ, बारिश भारी और कम पूर्वानुमानित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आ सकती है । चरम स्थितियों में, गर्म महासागर का तापमान भी मजबूत और अधिक घातक हो सकता है |

ग्लोबल वार्मिंग के आर्थिक प्रभाव :-

बढ़ती असमानता :-

ग्लोबल वार्मिंग मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा देती है, चाहे वह अलग-अलग देशों में हो या वैश्विक स्तर पर। जो लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, उनके पास चरम मौसम की स्थिति से उबरने के लिए सबसे कम संसाधन हैं। जो परिवार पहले से ही गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने पर घर को फिर से बनाने या सूखे के दौरान अपने झुंड के मरने पर नए पशुधन खरीदने की क्षमता नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद को नुकसान :

दिन-प्रतिदिन के जीवन पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सूखे, गर्मी और बाढ़ का देश के दो प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों, कृषि और पर्यटन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। केन्या सिर्फ़ एक उदाहरण है कि कैसे जलवायु परिवर्तन से किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है।

पुनर्निर्माण पर व्यय :-

ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली चरम मौसम की घटना के बाद, राष्ट्रों को नष्ट हुए क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे-जैसे ये घटनाएँ अधिक प्रबल और अधिक बार-बार होती जाएँगी, सरकारें आवश्यक पुनर्स्थापनों के लिए धन जुटाने में संघर्ष करेंगी और अधिक समुदायों को आश्रय, बिजली और/या बहते पानी के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम :-

ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और अपने ग्रह को बचाने के लिए हम अपने जीवन में कई बड़े और छोटे बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले, हमें सभी तरह के वनों की कटाई को रोकना होगा। अधिक पेड़ न काटें क्योंकि इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और खराब हो जाएगा। इसके बजाय, लोगों को प्रकृति में एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए और भी अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें।

इसके अलावा, यह हर जगह ऊर्जा के उपयोग को कम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर पर हैं या अपने कार्यालय में, जितनी अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उतनी ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसलिए, बिजली बर्बाद न करें क्योंकि

इसके लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने की आवश्यकता होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणामस्वरूप, वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें तेजी से बढ़ती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। इसके अलावा, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और अक्सर विमानों से यात्रा न करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सभी साधारण बल्बों को एलईडी लाइट से बदल दें। इससे ऊर्जा के उपयोग को बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह, उस ऊर्जा को बर्बाद न करें। अधिक निर्भर होने के बजाय, हमें जीवाश्म ईंधन और बिजली पर अपनी निर्भरता को तुरंत कम करने की आवश्यकता है।

सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का चयन करें और बिजली जीतें। रीसाइकिलिंग और पुनः उपयोग की आदत डालें। चीजों को फेंके नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से पुनः उपयोग करना सीखें। इसके अलावा, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ कारपूल करें ताकि ऑटोमोबाइल निकास और उत्सर्जन में योगदान न हो। प्लास्टिक का उपयोग भी कम करे।

ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा।ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।साथ ही इसे संभालना भी मुश्किल है। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग रोकने वाले अभियान जैसे पेड़-पौधे लगाना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग, औद्योगिकीकरण को कम करने, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ानेवाली चीजों जैसे एसी वगैरह का उपयोग कम करके, प्रदूषण की रोकथाम आदि की मदद से हम इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं ।

संपदा प्रकाश कनावजे
प्रणाली विश्लेषक/रत्नागिरी

चिनाब पूल का निर्माण एवं विशेषताएं

उधमपुर - श्रीनगर - बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है, जो देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर की खूबसूरत घाटी तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस परियोजना का एक हिस्सा कटरा-धरम 30.00 किमी से 72.390 किमी और 91.200 किमी से 101.635 किमी तक कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। इसमें 44.59 किमी (85.5%) मार्ग सुरंगों में, 4.6 किमी (8.8%) मार्ग पुलों पर और (5.7%) मार्ग कटिंग और तटबंधों में शामिल है। कोंकण रेलवे ने सड़क सुरंगों सहित 172 किमी लंबी सड़कें और अस्थायी पुल बनाया है।

परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए कोंकण रेलवे ने प्रोजेक्ट हेड ऑफिस जम्मू में बनाया है।इसके लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 354 कर्मचारियों और इंजीनियरों की एक टीम जुटाई है और डिज़ाइन समर्थन के लिए, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं।चिनाब रेल ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट का आर्च ब्रिज है जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। यह ब्रिज चिनाब नदी पर 359 मीटर (1,178 फीट) की ऊंचाई पर बना हुआ है। चिनाब रेलवे पूल पेरिस के एफिल टॉवर से भी ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल-आर्क रेलवे पुल है। नवंबर 2017 में, मुख्य मेहराब के निर्माण की शुरुआत के लिए आधार समर्थन को पूरा घोषित कर दिया गया था। पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया।

पुल के मुख्य तकनीकी डेटा में शामिल हैं:

- डेक की ऊंचाई: नदी तल से ऊपर - 359 मीटर, नदी की सतह से ऊपर - 322 मीटर है ।
- पुल की लंबाई: 1,315 मीटर, जिसमें उत्तरी तरफ 650 मीटर लंबा पुल भी शामिल है ।
- आर्क अवधि: 467 मीटर है ।
- मेहराब की लंबाई: 480 मीटर है।

इससे चिनाब रेल ब्रिज बनता है:

* चिनाब नदी घाटी के नदी तल से 359 मीटर की ऊँचाई पर, प्रतिष्ठित चिनाब पूल दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पूल है।
* यह पूल प्रतिष्ठित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है।
* दुनिया का 16वां सबसे ऊंचा पुल ।
* दुनिया का 11वां सबसे लंबा आर्च ब्रिज ।

फीट 6 इंच (1,676 मिमी) ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबे विस्तार वाला पुल ।

डिजाइन और निर्माण का काम आईआईएससी बैंगलोर की मदद से भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्माण समूह, शापूरजी पल्लोनजी समूह के एक हिस्से, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा गया था। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमुख निर्माण निर्णय लिए गए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पुल

के डिजाइन में मदद की, इसे विशेष स्टील का उपयोग करके ब्लास्ट-प्रूफ बनाया गया।

पुल निर्माण योजना अपने आप में एक परियोजना है। नदी के दोनों किनारों पर दो तोरण (लगभग 130 मीटर और 100 मीटर ऊंचे) खड़े किए गए थे, और इन तोरणों के पार अस्थायी सहायक रस्सियों को खींचने के लिए दो सहायक स्व-चालित केबल क्रेन (प्रत्येक 20 टन की क्षमता) का उपयोग किया गया था। रस्सियों का उपयोग आंशिक रूप से तैयार मेहराब भागों को सहारा देने के लिए किया गया था। आर्च पूरा होने के बाद, ट्रस जोड़े जाएंगे, अंत में गर्डर का निर्माण क्षैतिज स्लाइडिंग प्रकार के प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा।

नदी के ऊपर 359 मीटर (1,178 फीट) की ऊंचाई पर निर्मित, चिनाब पुल ने कथित तौर पर अब तक सभी आवश्यक परीक्षण पास कर लिए हैं - जिसमें उच्च-वेग हवाओं का परीक्षण, अत्यधिक तापमान परीक्षण, भूकंप-प्रवण परीक्षण और वृद्धि के कारण जल विज्ञान संबंधी प्रभाव शामिल हैं। जल स्तर में. एएनआई के मुताबिक, एक बार पूरा हो जाने पर, चिनाब रेलवे ब्रिज 260 किमी प्रति घंटे की गति वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम होगा और इसका जीवनकाल 120 साल होगा।

जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए, यह पुल दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद आया है। अपनी पहली मंजूरी मिलने के बाद परियोजना कई समय सीमा से चूक गई है। अप्रैल 2021 में, चिनाब रेल ब्रिज का आर्क पूरा हो गया और समग्र पुल अगस्त 2022 में पूरा हो गया। इसके दिसंबर 2023 या जनवरी/फरवरी 2024 तक रेल यातायात के लिए खुलने की उम्मीद है।उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी तरह से चालू होने के बाद वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के बीच चलेगी।

विवेकानंद वि.सावंत

स्टेशन मास्टर, कोंकण रेलवे

भारत अक्षय ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है

भूमिका-

भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा (अक्षय ऊर्जा) के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती ऊर्जा मांग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की सीमाओं को देखते हुए, अक्षय ऊर्जा भारत के लिए न केवल एक आवश्यकता बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता भी बन गई है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारत आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ और अक्षय ऊर्जा का महत्व

भारत की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, महंगे हैं और प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। ऐसे में, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग न केवल ऊर्जा संकट को हल कर सकता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

भारत की अक्षय ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँ

भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ लागू की हैं:

राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission): 2010 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। भारत ने 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन: पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। भारत में वर्तमान में 40 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना: अक्षय ऊर्जा उत्पादन को ग्रिड से जोड़ने और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

कुसुम योजना: किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है।

हाइड्रोजन मिशन: भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चला रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का नया स्रोत उपलब्ध हो सके।

भारत में प्रमुख अक्षय ऊर्जा स्रोत

1. सौर ऊर्जा

भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्रों में

"पावागड़ा सोलर पार्क" और "भदला सोलर पार्क" प्रमुख हैं।

2. पवन ऊर्जा

तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है और इसका लक्ष्य 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करना है।

3. जल विद्युत

भारत में जल विद्युत परियोजनाएँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में विकसित की गई हैं। यह अक्षय ऊर्जा का सबसे पुराना और स्थिर स्रोत है, जो देश की कुल ऊर्जा जरूरतों का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करता है।

4. जैव ऊर्जा

भारत में कृषि और औद्योगिक अपशिष्टों का उपयोग बायोगैस और बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। यह न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहायक है बल्कि कचरा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5. ग्रीन हाइड्रोजन

ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, भविष्य में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भारत सरकार इसे ऊर्जा निर्यात का प्रमुख स्रोत बनाने की योजना बना रही है।

कोंकण रेलवे की अक्षय ऊर्जा में प्रगति

कोंकण रेलवे (KRCL) भी अक्षय ऊर्जा को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रेलवे अपने परिचालन में सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रहा है:

सौर ऊर्जा संयंत्र: कोंकण रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और रेलवे परिसरों में सौर पैनल स्थापित किए गए हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है।

पवन ऊर्जा परियोजना: रेलवे पवन ऊर्जा से बिजली प्राप्त करने के लिए नई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग: कोंकण रेलवे के स्टेशनों और रेल परिसरों में पारंपरिक बल्बों को एलईडी लाइट्स से बदला जा रहा है, जिससे ऊर्जा की बचत हो रही है।

ग्रीन कॉरिडोर पहल: रेलवे ट्रैक और अन्य बुनियादी ढांचे के आसपास हरियाली बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

भारत के लिए अक्षय ऊर्जा के लाभ

पर्यावरण संरक्षण: अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित होते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा: इससे भारत की विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

रोजगार के अवसर: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से नए रोजगार सृजित हो रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

ग्रामीण विकास: सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की

उपलब्धता बढ़ा रही हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

आर्थिक समृद्धि: भारत अक्षय ऊर्जा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

ऊर्जा भंडारण: सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन अनियमित होता है, जिससे ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती है। बैटरी तकनीक और हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण में सुधार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

प्रारंभिक लागत: सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएँ इसे सुलभ बना सकती हैं।

तकनीकी चुनौतियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड के साथ जोड़ने में तकनीकी समस्याएँ आती हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे और स्मार्ट ग्रिड तकनीकों से इसे हल किया जा सकता है।

नीति और नियमन: अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियों और नीतिगत स्पष्टता की आवश्यकता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़े।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है, जिससे देश की 50% बिजली जरूरतें स्वच्छ ऊर्जा से पूरी की जा सकेंगी। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

निष्कर्ष

भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी बन रहा है और आने वाले वर्षों में यह विश्व के शीर्ष अक्षय ऊर्जा उत्पादकों में शामिल हो सकता है। सरकार की योजनाएँ, तकनीकी नवाचार और जनता की जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि भारत अक्षय ऊर्जा को और अधिक विकसित करता है, तो यह न केवल ऊर्जा संकट का समाधान करेगा बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्रीमती प्रिया पोकले

वरिष्ठ राजभाषा अनुवादक, बेलापुर

राजभाषा पखवाडा

हिंदी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक कार्यालय, रत्नागिरी में दिनांक 14 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक राजभाषा पखवाडा आयोजित किया गया।राजभाषा पखवाडे के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

1) क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक, रत्नागिरी महोदय की उपस्थिति में दिनांक 14.09.2024 को सुबह 10.30 बजे क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक रत्नागिरी कार्यालय में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े का बैनर लगाकर उद्घाटन शुभारंभ।

2) दिनांक 14.09.2024 को सुबह 10.30 बजे चिपलूण स्टेशन में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े का उद्घाटन शुभारंभ।

3) दिनांक 14.09.2024 को सुबह 10.30बजे रत्नागिरी स्टेशन में हिंदी दिवस तथा राजभाष पखवाड़े का उद्घाटन शुभारंभ।

4) दिनांक 14.09.2024 को सुबह 10.30 बजे कणकवली स्टेशन में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े का उद्घाटन शुभारंभ।

5) दिनांक 17.09.2024 को क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में माननीय गृह मंत्री और रेल मंत्री का हिंदी दिवस संदेश प्रसारण और स्वच्छता शपत ग्रहण का क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, रत्नागिरी द्वारा प्रसारण।

6) राजभाषा पखवाड़े के उपलक्ष्य में दिनांक 18.09.2024 को रत्नागिरी क्षेत्रीय कार्यालय में कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए टेबल प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इसके माध्यम से कर्मियों को हिंदी टाइपिंग में आनेवाली समस्याओं का निपटान करने का सकारात्मक प्रयास किया गया।कुल 22 कर्मचारी उपस्थित थे।

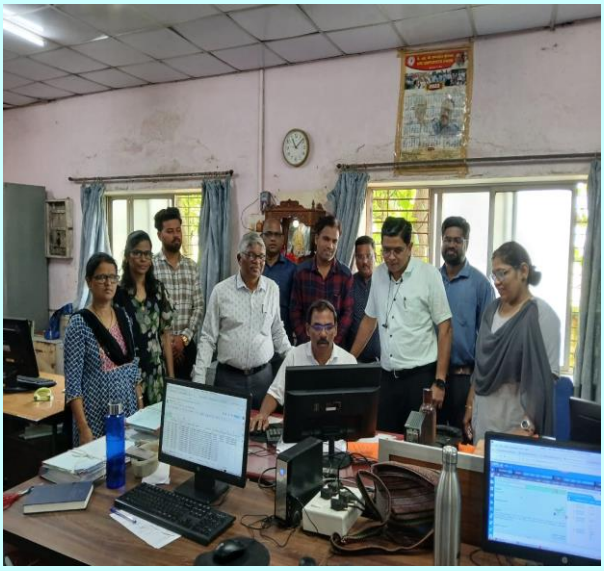

7) दिनांक 19.09.2024 को क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला में 06 अधिकारी और 29 कर्मचारी उपस्थित थे।

8) दिनांक 20.09.2024 को क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कणकवली स्टेशन में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।कुल 24कर्मचारी (रत्नागिरी- 16, कणकवली-08) उपस्थित थे।

9) दिनांक 23.09.2024 को क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इसी क्रम में कणकवली,चिपळून स्टेशन में हिंदी टिप्पण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस प्रतियोगिता में कुल 27(रत्नागिरी-19, ककवली-08,चिपळूण07)कर्मचारी सहभागी हुए।

रत्नागिरी

कणकवली

चिपळूण

10.क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में हिंदी दिवस तथा राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर हिंदी वाक़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।कुल10कर्मचारी उपस्थित थे।

11.दिनांक 30.09.2024 को चिपलूण और कणकवली स्टेशन में हिंदी प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस प्रतियोगिताके अवसर पर कुल 38कर्मचारी उपस्थित थे।

चिपळूण

कणकवली

12. दिनांक 29.09.2023 को 15:30 बजे रत्नागिरी क्षेत्रीय कार्यालय सभागृह में हिंदी प्रश्न-मंच प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।इस अवसर पर कुल अधिकारी 07और 41 कर्मचारी उपस्थित थे।

उपरोक्त ब्योरे के अनुसार क्षेत्रीय रेल प्रबंधक कार्यालय रत्नागिरी में राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर रत्नागिरी क्षेत्र में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों ने बहुत उत्साह से भाग लेकर हिंदी के प्रति अपना स्नेह को व्यक्त किया है। इसप्रकार राजभाषा पखवाडे का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया।

राजभाषा विभाग,1976 के नियम 8(4) के अनुपालन में विनिर्दिष्ट किए गए विषय (उपक्रमों के लिए)

'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केंद्रिय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर-सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि हिंदी में भेजना।

- हिंदी में प्राप्त सभी पत्रादी के उत्तर हिंदी में ही देना।
- किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन,अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में देना।
- 'क' तथा 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजीमें प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना।
- राजभाषा कानुन की धारा 3(3)के अंतर्गत आने वाले प्रलेख अनिवार्य रुप से व्दिभाषी रुप में जारी करना।
- मानक मसौदों के माध्यम सें भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में जारी करना।
- अग्रिम के लिए आवेदन पत्र ।
- रजिस्टर और सेवा पुस्तिकाओं के शिर्षक और प्रविष्टियां हिदी में करना।
- हात से लिखे जाने वाले नोट।
- उपस्थिति पंजिका में नामयऔर हस्ताक्षर।
- दौरा कार्यक्रम।
- टी.ए./डी.ए. बिल।
- अधिनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण नोट में राजभाषा का उल्लेख।
- 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले निफाफों पर पते हिंदी में लिखना।
- वर्ग 'ग' और 'घ' के रेल कर्मचारीयें की सेवा पुस्तिकाओं में इंतराज।
- नियुक्ति पत्र।
- पदोन्नति मामले।
- वरीयता सूची।
- निपटारा एंव पेंशन संबंधी कार्य।
- वर्ग ग और घ के कर्मचारियों के संदर्भ में अनुशासन और अपील संबंध मामले।
- मस्टर शीट एवं वेतल बिल।
- नक्शो, ड्राइंग, चार्टो के शीर्षक।
- ऑडीट रजिस्टर एवं संबधित रिपोर्ट।
- निरीक्षण कार्यो के सभी रजिस्टर रिपोर्ट।
- विभागिय बैठकों में हिंदी में चर्चा।
- शीर्ष बैठकों की कार्य सूची, कार्यवृत्त द्विभाषी जारी करना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट, चालान,रोचनामा हिंची में बनाना।
- कार्यलयाल कागजात पर हिंदी में हस्ताक्षर करना।
- द्विभाषी कंप्यूटरों पर हिजी में किए जाने वाले कार्य-
    1. पी.सी.डी.ओ./एम.सी.डी.ओ
    2. वेतन पर्चियां
    3. सामान्य पत्राचार
    4. प्रोफार्मा
    5. लिरीक्षण रिपोर्ट

****

धन्यवाद